2 COURT FEE २ Rs. भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

2 COURT FEE २ Rs. भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

2 COURT FEE २ Rs. भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

1 Re. COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

B15

माननीय प्रशासकीय सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2008 पुर्नावलोकन

कोर्ट I
रिव्यू 1167-III/08

श्री सुरेन्द्र जैन एडवोकेट
द्वारा आज दि. 25-9-08 को प्रस्तुत।

रिद्धि सिद्धि न्यास, पंजीयन ट्रस्ट द्वारा अध्यक्ष ओमप्रकाश पुत्र श्री किशनलाल जी अग्रवाल निवासी 91, इमली बाजार, इन्दौर म.प्र.

.... आवेदक

विरूद्ध

देवी अहिल्या बाई होलकर एज्युकेशनल ट्रस्ट पंजीकृत कार्यालय, माणिक बाग रोड, इन्दौर द्वारा सचिव देवी अहिल्या बाई होल्कर एज्युकेशनल ट्रस्ट पंजीकृत कार्यालय, माणिक बाग रोड, इन्दौर

.... अनावेदक

Hd. 25-09-2008

<u>माननीय प्रशासकीय सदस्य श्री प्रदीप खरे राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 1037–I/2008 विविध में पारित विवादित आदेश दिनांक 02.09.2008 के विरूद्ध पुर्नावलोकन अंतर्गत धारा 51 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959, जो नायब तहसीलदार इंदौर के प्रकरण क्रमांक 32/अ 3/07–08 विवादित आदेश दिनांक 08.08.08 के विरूद्ध की गई थी।</u>

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1167–तीन/2008 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3.3.16	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 2–9–2008 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । इस न्यायालय द्वारा म0प्र0भू–राजस्व संहिता की धारा 8 के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया है । निगरानी में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है । संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत निगरानी में पारित के विरूद्ध पुनर्विलोकन का प्रावधान है, अतः संहिता की धारा 08 सहपठित धारा 32 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर पारित आदेश के विरूद्ध पुनर्विलोकन का प्रावधान नहीं है, इसलिये यह पुनर्विलोकन प्रथमदृष्टया विधि अनुसार प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) **अध्यक्ष**	